उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों द्वारा महिला सशक्तीकरण : एक मूल्यांकन

प्रताप सिंह गढ़िया
बाला सिंह कोरंगा

मार्च 2008

गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्अर 'ओ' अलीगंज
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों द्वारा महिला सशक्तीकरण : एक मूल्यांकन

* डा0 प्रताप सिंह गढ़िया

** बाला सिंह कोरंगा

1.1 भूमिका : किसी देश विशेष का आर्थिक विकास अनेक आर्थिक व अनार्थिक कारणों से प्रभावित होता है। जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, अच्छे उद्यमी एवं संगठन जैसे आर्थिक तत्व तथा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थितियां आदि अनार्थिक तत्व शामिल हैं। अन्य साधनों की तुलना में मानव संसाधन में सक्रीयता का विशेष गुण पाया जाता है जिस कारण मानव संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि यदि किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसके निवासी क्रियाशील, चरित्रवान, स्वस्थ, परिश्रमी व कार्यदक्ष है तो निःसन्देह अन्य बातें समान रहने पर उस देश का अर्थिक विकास अधिक होगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में लगा मानव श्रम महिला व पुरूष के रूप में विद्यमान है। प्राकृतिक रूप से जहां एक ओर महिला व पुरूष के शारीरिक बनावट में भिन्नता पायी जाती है वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारणों से इन साधनों में कार्य विभिन्नता पायी जाती है।

महिलायें अपने तिहरे योगदान—जन्मदात्री, प्रतिपालक एवं उत्पादक के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। जहां एक ओर जन्मदात्री व प्रतिपालक का कार्य सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है वहीं दूसरी ओर उत्पादन का कार्य महिला व पुरूष दोनों के संयुक्त प्रयासों से होता है। समाज में विशिष्ट योगदान देने व जनसंख्या का आधा भाग होने पर भी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिलायें पारिवारिक सम्पत्ति, आय, सार्वजनिक व राजनैतिक भागेदारी में पिछड़ी हुई है।

यद्यपि किसी भी देश के आर्थिक विकास का लक्ष्य अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय करना होता है जो कि महिला व पुरूष दोनों के लिये समान रूप से लागू होता है, लेकिन पुरूष प्रधान समाज में प्रारम्भ से चली आ रही श्रम विभाजन की प्रक्रिया व तकनीकी विकास ने महिलाओं को कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों जिसमें शारीरिक कष्ट अधिक होता है वहीं तक सीमित कर दिया है।

---

*संकाय सदस्य, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ

**शोध सहायक, (प्रोजेक्ट) गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ

समय व परिस्थिति में हो रहे बदलाव व आधुनिकता की दौड़ में महिला वर्ग के पिछड़ जाने के कारण योजनाकारों, समाजसेवी संस्थाओं व समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान महिलाओं की समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ और सन् 1975 में मैक्सिको में हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन व संयुक्त राष्ट्र संघ (यू0 एन0 ओ0) द्वारा वर्ष 1975–85 को महिला दशक के रूप में मनाये जाने से महिलाओं की समस्याओं को समझने व उनके समाधान हेतु अवसर खोजने का प्रयास विश्व के अधिकांश देशों में प्रारम्भ हुआ। सन् 1975 को महिला वर्ष मनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा संयुक्त राष्ट्र का रवैया देखकर भारत सरकार ने भी ''स्टेटस ऑफ वूमन'' कमेटी की स्थापना की। कमेटी ने महिलाओं विशेषतः ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्ध में पाया कि अशिक्षा, अन्धविश्वास, पुरूष प्रधानता, पारम्परिक मूल्य व सिद्धान्त तथा सामाजिक बुराइयों से महिलायें त्रस्त हैं और जीवन निर्वाह के महत्वपूर्ण व्यवसाय–स्वास्थ्य, भोजन और अन्य सामाजिक सेवाओं में उनका योगदान अधिक रहा है। जो निम्न जीवन स्तर, कम पारिश्रमिक देने वाले व कम कार्यकुशलता के होते है।

कार्लेकर (1985) ने भी लिखा है कि कृषि व अकृषि कार्यों में कुछ कार्यों को अति उत्पादक कार्य माना जाता है जिन पर महिलाओं का बिल्कुल भी नियन्त्रण नहीं होता है। हल, कुम्हार का चाक, व बढ़ई का आरा इसके स्पष्ट उदाहरण हैं जिनको चलाना महिलाओं के लिये सख्त मना है। अन्धविश्वास के कारण महिलाओं को हल के हत्थे को पकड़ने से रोका जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि हल के हत्थे पर हाथ लगाने से प्राकृतिक विपदायें आती हैं, केवल सूखे के समय अर्द्धरात्रि में महिलायें हल चलायें तो इन्द्रदेव जल वर्षा करते हैं। इसी प्रकार कुम्हार के लिए मिट्टी लाना और मिट्टी में पानी डालकर, मिट्टी साधने का कार्य महिलायों द्वारा किया जाता है जो काफी कठिन कार्य है लेकिन महिलायें चाक को दैविक पूजा का प्रतीक मानने के कारण उसको नहीं चलाती है। बढ़ई का आरा भी पुरूष के हाथ का औजार होने के कारण महिलायें इसकों नहीं चलाती हैं।

के0डी0 गंगराडे (1983) ने भी पाया है कि असंगठित क्षेत्र में महिलायें बहुत सी समस्याओं जैसे कम मजदूरी, अधिक कार्य घण्टे, नौकरी की असुरक्षा, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा नारीत्व की समस्या से ग्रसित रहती है तथा समान कार्य के लिये समान वेतन का प्राविधान होने पर भी महिलाओं को कभी कभी कम वेतन का भुगतान किया जाता है। कम कार्यकुशलता व कम पारिश्रमिक मिलने वाले कार्यों में संलग्न रहने के कारण महिलाओं का स्तर भी प्रभावित होता है। यद्यपि उत्पादक व अनुत्पादक कार्य व व्यवसाय, श्रमशक्ति में महिलाओं का अनुपात, भूमि का मालिकाना हक, तकनीकी विकास, प्रवास की स्थिति, उत्तराधिकार का अधिकार, परिवार की प्रसिद्धि व प्रभाव, शिक्षा का स्तर, आयु, लिंग, विवाह की आयु, जाति, धर्म तथा स्वास्थ्य आदि कारक महिलाओं की स्थिति व स्तर को निर्धारित करते है। हमारे देश के विविधा भरे समाज में महिलाओं की स्थिति व स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक वर्ग से दूसरे वर्ग, एक जाति से दूसरी जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भिन्न–2 पायी जाती है।

1.2 विभिन्न विकास संकेतकों के अनुसार देश व उत्तर प्रदेश की महिलाओं के पिछड़ेपन की स्थिति

सामान्यतः देश की महिलाओं की तरह उत्तर प्रदेश की महिलाओं की स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता है। यदि हम महिला विकास के विभिन्न संकेतकों का उत्तर प्रदेश व भारत की महिलाओं से तुलना करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। (तालिका संख्या–1)। उत्तर प्रदेश की गणना एक पिछड़े राज्य के रूप में होती है प्रदेश के पिछड़े होने पर महिलाओं की स्थिति व स्तर भी कम होना स्वाभाविक है। यदि हम महिला साक्षरता दर, कार्य सहभागिता दर, लिंगानुपात, औसत आयु, जन्मदर, मृत्युदर, कुल प्रजनन दर, राजनैतिक भागीदारी आदि को देखें तो वे सभी संकेतकों में पिछड़ी हुई है। यद्यपि पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार आया है लेकिन प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर (43.0 प्रतिशत) देश की महिलाओं की साक्षरता दर (54.0 प्रतिशत) से काफी कम है।

तालिका –1: विभिन्न विकास संकेतकों के अनुसार देश व उत्तर प्रदेश की महिलाओं के पिछड़ेपन की स्थिति

क्र.सं.	संकेतक	उत्तर प्रदेश	भारत
1.	महिला साक्षरता दर : 1991	25.31	39.29
	2001	42.98	54.16
2.	लिंगानुपातः 1991	879	927
	2001	989	933
3.	कार्य सहभागिता दरः1991	12.32	22.30
	2001	16.80	25.68
4.	जन्म के बाद जीवित रहने की दर (2005)	49.64	59.10
5.	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या में) 2004	72	58
6.	मातृ मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या में) 2001	517	301
7.	कुल प्रजनन दर (प्रति जनन योग्य व्यक्तियों से जनित बच्चों की संख्या)	4.4	2.9
8.	संस्थागत जन्म (प्रतिशत) 2004	22.0	40.7
9.	प्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव (प्रतिशत)	29.2	48.2
10.	18 वर्ष की आयु से पूर्व शादी करने वाली लड़कियों का प्रतिशत	49.0	45.0
11.	वोट देने में महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी (1998)	50.19	58.02
12.	लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत (1998)	10.59	7.95
13.	राज्य सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत (2000)	2.94	9.02

स्रोत : 1. भारत की जनगणना 1991 व 2001

2. इण्डिया वोट्स लोकसभा एण्ड विधान सभा एलैक्शन, 1998

3. आठवीं, नौवी व दसवीं पंचवर्षीय योजना, उ0 प्र0 लखनऊ।

समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होने व लड़की की तुलना में लड़के को महत्व देने के कारण लिंगानुपात भी महिलाओं के खिलाफ है। जहां भारत में प्रति हजार पुरूषों पर 933 (2001) महिलायें हैं वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मात्र 898 महिलायें हैं। सामाजिक मूल्य, परम्परायें मजदूरी विभेद आदि कारणों से महिलायें बाहर कार्य करने को कम निकलती है। लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाये इसके अपवाद हो सकती हैं और उनकी कार्य सहभागिता उन क्षेत्रों में अधिक हो सकती है जहां उनकी ज़नसंख्या अधिक है। इसी कारण से भारत में महिलाओं की कार्य सहभागिता (26.0 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कार्यसहभागिता (17.0 प्रतिशत) दर से काफी कम है। पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य व शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने से उत्तर प्रदेश की महिलाओं की औसत आयु देश की महिलाओं की औसत आयु से 10 वर्ष कम देखी गयी है। किसी भी क्षेत्र व प्रदेश विशेष की शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जनसंख्या) से उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी प्रति हजार जन्मे शिशुओं में 72 शिशु काल के गाल में समा जाते हैं जबकि देश में प्रति हजार जन्मे शिशुओं में से 58 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। माँ बनने के दौरान असुरक्षित गर्भपात के कारण प्रति लाख माताओं में से 517 की मृत्यु प्रसव काल में हो जाती है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात् मृत्यु दर 301 है। उत्तर प्रदेश में प्रति जनन योग्य व्यक्तियों से बच्चों के जनने की दर 4.4 बच्चे देखी गयी है जो देश के कुल जनन दर 2.9 से काफी अधिक है। अशिक्षा, जल्दी शादी करना व परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग न करने के कारण उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर देश के कुल प्रजनन दर से अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास व विस्तार के बावजूद उत्तर प्रदेश की मात्र 22.0 प्रतिशत महिलायें विभिन्न संस्थाओं में बच्चों को जन्म देती है। जबकि देश की लगभग दुगुनी 40.7 प्रतिशत महिलायें विभिन्न संस्थाओं में बच्चों को जन्म देती है। जल्दी विवाह करने से महिलाओं के कन्धों पर बच्चों को पालने के साथ–साथ उनका कार्य बोझ भी बढ़ जाता है जो न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वरन् उनके विकास को भी रोकता है। उत्तर प्रदेश की लगभग आधी लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है जबकि देश की 45 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व होता है। स्थानीय व क्षेत्रीय परिस्थितियां महिलाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करती है। यह सकारात्मक है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें अपने मताधिकार का उपयोग करती हैं। वोट देने में सकारात्मक भूमिका निभाने पर भी राजनैतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम टिकट दिये जाते हैं फिर भी उत्तर प्रदेश से 10.50 प्रतिशत महिलायें लोकसभा व 2.94 प्रतिशत महिलायें राज्य सभा के लिये चुनी गयीं हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों की स्थितिः

स्वाभिमान व स्वतंत्रता से जीवन निर्वाह करने में महिलाओं के सामने पिछले 10–15 वर्षों से अनेक चुनौतियां खड़ी हुई हैं। लिंगानुपात, साम्प्रदायिक, राजनीति, जाति में बँटा समाज और शिक्षा का गिरता स्तर इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। महिलाओं के विरूद्व हिंसा के कई रूप सामने आये हैं जिनमें से बलात्कार, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, छेड़खानी, यौन शोषण, दहेज हत्या, अपहरण और घरेलू

हिंसा मुख्य है। तालिका संख्या–1 के अनुसार, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की महिलायें विकास के मुख्य संकेतकों के अनुसार काफी पिछड़ी हैं वहीं दूसरी ओर तालिका संख्या–2 से ज्ञात होता है कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के अपराधों ने उनके स्वाभिमान व जीने की राह काफी मुश्किल कर दी है।

तालिका–2 : विभिन्न वर्षों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों की स्थिति

क्र.सं.	अपराध	1996	1997	1998	2005
1.	बलात्कार	1854	1457	1605	1217
2.	अपहरण और बलपूर्वक महिलायों व लड़कियों को भगा ले जाना	2501	2460	2882	2256
3.	छेड़खानी	2526	2023	2423	1835
4.	पति व रिश्तेदारों की निर्दयता	3989	3393	5113	4505
5.	यौन शोषण	118	105	2571	2881
6.	दहेज हत्यायें	1983	1786	2229	1564
	कुल अपराध	172480	152779	184461	

स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12.

उत्तर प्रदेश की महिलाओं की दयनीय स्थिति व उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों को चलाया है। ये विकास कार्यक्रम कौन से हैं? क्या विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से महिलाओं की स्थिति में (विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार) अपेक्षित सुधार आया है? यदि सुधार नहीं आया तो इसके क्या कारण रहे हैं? क्या इन कार्यक्रमों से उनमें जागरूकता आयी आदि का मूल्यांकन अध्ययन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'महिला एवं बाल विकास विभाग' की आर्थिक सहायता से लेखक ने गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ में एक मूल्यांकन अध्ययन किया है जिसके मुख्य निष्कर्षों को लेख में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए औसत विकसित व कम विकसित दो जिले क्रमशः उन्नाव व शाहजहांपुर का चयन किया गया और प्रत्येक जिले से दो विकास खण्ड और प्रत्येक विकास खण्ड से 4 गांवों का चयन किया गया। विकास खण्ड व गांवों के चयन में जिला मुख्यालय व विकास खण्ड से मध्यम दूरी व अधिक दूरी का ध्यान रखा गया। प्रत्येक गांव से 125 महिलाओं का चयन किया गया जिसमें सभी धर्म व जाति का प्रतिनिधित्व शामिल था कुल मिलाकर 1000 महिलाओं से साक्षात्कार लिया गया।

1.4 उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास हेतु चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रम :

जब विकास कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया उस समय योजनाकारों की यह धारणा बनी थी कि जो भी विकास कार्यक्रम लोगों के लिये चलाये जा रहें हैं उनसे महिलाओं का विकास स्वतः हो जायेगा लेकिन व्यवहार में यह धारणा मिथ्या साबित हुई क्योंकि सामान्यतया जो भी कार्यक्रम चलाये गये उनका झुकाव पुरूष वर्ग की ओर था। समय व परिस्थिति में हो रहे बदलाव व आधुनिकता की दौड़ में महिलाओं के पिछड़ जाने के कारण योजनाकारों, समाजसेवी संस्थाओं व समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने

महिलाओं के लिये अलग से विकास कार्यक्रमों को बनाने की आवश्यकता महसूस की और नये विकास कार्यक्रमों का सृजन महिलाओं के पक्ष में किया गया है।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास कार्यक्रमों की शुरूआत सन् 1948 में इटावा जिले के महेबा विकास खण्ड में आरम्भ किये गये 'इटावा पायलट प्रोजेक्ट' से माना जाता है। जिसका मुख्य लक्ष्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सुधार लाना तथा लोगों में आत्मनिर्भरता व सहयोग की भावना को विकसित करना था। रेखा मेहरा (1958) ने लिखा है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के योजना आयोग के सलाहकार अल्बर्ट मेयर ने इटावा मार्ग दर्शक परियोजना के माध्यम से महिलाओं के साथ काम करने की आवश्यकता महसूस की थी लेकिन महिलाओं की पारम्परिक व सामाजिक स्थिति के कारण नीति निर्धारक स्वयं महिलाओं के लिये कार्य करने में अपने को अलग रखते थे गांव का पुरूष वर्ग भी नीति निर्धारकों का समर्थन करता था।

इटावा मार्गदर्शक परियोजना की साख के आधार पर सन् 1950 में तीन प्रतिनिधि संस्थाओं: समाज कल्याण विभाग, योजना विभाग व समाज कल्याण परिषद ने कई कार्यक्रम चलाये जिसके सम्बन्ध में शर्मा (1986) लिखते हैं कि इन तीनों संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बालवाड़ी चलाना, हस्तशिल्प सिखाना तथा कुछ क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना था लेकिन योजनाओं के सम्बन्ध में दूर दृष्टि की कमी, प्राथमिकताओं का निर्धारण न कर पाना, कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कार्यक्रमों के परिणाम चाहत के अनुसार नहीं हो पाये। इटावा पायलट प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर प्रदेश व देश में सन् 1952 में सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना एक अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा की गयी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक अच्छाईयां पैदा करना था। ताकि ग्रामीण महिला को एक अच्छी पत्नी एक विद्वान माँ, कुशल गृहणी तथा ग्राम समुदाय में उत्तरदायी सदस्यता का निर्माण हो सके। सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना से ही स्त्रियों के विकास की शुरूआत मानी जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू होते समय योजनाकारों ने यह काफी समझा था कि कार्यक्रम का एक अंग ''सामाजिक शिक्षा संगठन'' प्रत्येक विकास खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा व क्राफ्ट केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को आकर्षित करेंगे और स्त्रियों के देखभाल के लिये हेल्थ विजिटर व मिडवाइफ को एक भाग के रूप में सामुदायिक विकास केन्द्रों में स्थापित किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अलावा सन् 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारम्भ किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना काल (1951–56) में ग्रामीण स्त्रियों को परिवार का प्रबन्ध, बच्चों की परवाह, पुष्टाहार और घरेलू शिल्प की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गृह विज्ञान केन्द्रों व प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी। इसी काल में ग्रामीण महिलाओं को नये–नये विचार व उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये महिला मण्डलों की स्थापना की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में ही महिला मण्डल कार्यक्रमों को कल्याणकारी सेवाओं में बदलकर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ''कल्याण प्रसार परियोजना'' के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की दशा सुधारने के प्रयास किये। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल (1956–61) में भी ग्रामीण महिलाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प व गृह विज्ञान में उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) तीन

वार्षिक योजनायें (1966–68) तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में महिलाओं को शिक्षित करने में विशेष ध्यान दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं को अलग रूप में न देखकर उनको निराश्रित व गरीबों के कल्याण के लिए चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया गया। कुल मिलाकर पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल तक महिला विकास को विकास की दृष्टि से न देखकर कल्याणकारी दृष्टि से देखा गया।

छठी पंचवर्षीय योजना में (1980–85) काल में बहु स्तरीय महिला विकास कार्यक्रम चलाये गये और कल्याणकारी कार्यक्रमों का परिवर्तन विकास कार्यक्रमों के रूप में हुआ इसी काल में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत महिला मुखिया वाले परिवारें को कार्यक्रमों में प्राथमिकता तथा ट्राइसेम के अर्न्तगत एक तिहाई महिलाओं को लाभार्थी बनाने का प्रयास किया गया कार्यक्रमों में भागीदारी देने के साथ–साथ छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में महिलाओ को कार्य विभेद शोषण, हिंसा आदि से मुक्त करने के लिये कानूनी प्राविधान किये गये। सातवीं पंचवर्षीय (1985–90) में महिलाओं के बहुस्तरीय विकास के लिये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार तथा विज्ञान व तकनीकी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को चलाया गया और यह प्रयास किये गये कि महिलायें आय अर्जित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़कर सामाजिक व आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को अध्यापक प्रशिक्षण में विशेष स्थान दिया गया ताकि वे प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों व कन्या विद्यालयों में रोजगार पा सकें। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त कराने के लिये 5000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी ताकि गर्भवती महिलाओं को मातृ कल्याण सम्बन्धी जानकारी दी जा सके व उनको न्यून रक्तता (एनिमिया) जैसे रोगों से बचाया जा सके। इसी योजनाकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार देने हेतु 'जवाहर रोजगार योजना' चलायी गई जिसमें 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये।

विभिन्न दशको में जहां एक ओर पांचवी दशक में 'महिला कल्याण' व सातवें दशक में 'महिला विकास' पर सरकार की तरफ से ध्यान आकर्षित किया गया वहीं, दूसरी ओर नवें दशक में 'महिला सशक्तिकरण' महिला विकास हेतु मुख्य मुद्दा बना रहा। महिला सशक्तता से तात्पर्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां बिना किसी लिंग भेद के महिलाओं को अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सके। स्वयं अपने परिवार और समाज से सन्दर्भ में भले बुरे की पहचान कर सके तथा विकास की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम उठा सके। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में प्रजातंत्र की प्रारम्भिक इकाइयों में महिलाओं को राजनैतिक भागीदारी दी गयी सन् 1991–2000 में 'द प्लान ऑफ एक्शन' के तहत बालिकाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया गया जहां केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना योजना आयोग के एक इकाई के रूप में की गयी वहीं प्रदेश स्तर पर महिला कल्याण निदेशालय व समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई जो महिलाओं से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। प्रदेश स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना की गयी जो महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित संविधानिक व विकास

कार्यक्रमों का अन्वेषण, परीक्षण व मूल्यांकन करते हैं।

आठवीं व नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तीकरण हेतु महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित कौन–2 से कार्यक्रम चलाये गये उनका विवरण तालिका संख्या–3 में दर्शाया गया है। यद्यपि आठवीं योजना में चले कार्यक्रमों का नाम बदल दिया गया या पुराने कार्यक्रमों को नये नाम के कार्यक्रम में जोड़ दिया गया है लेकिन उनका लक्ष्य महिला सशक्तीकरण करना ही रहा है। अगले भाग के महिलाओं के विकास हेतु चलाये गये विभिन्न महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1.5 महिला विशिष्ट कार्यक्रम :

यद्यपि आठवीं योजना में अनेकों महिला विशिष्ट कार्यक्रम चलाये गये लेकिन 33 प्रतिशत से अधिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मात्र 2 से 10 जिलों तक सीमित रहा जबकि ड्वाकरा व निराश्रित विधवाओं को अनुदान वाले कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया गया। महिलाओं को प्रशिक्षण व रोजगार हेतु प्रोत्साहन (स्टैप) महिला डेयरी कार्यक्रम को 1987 से लागू किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य पारम्परिक व्यवसायों में जैसे कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, ऊसर सुधार, हथकरधा और हस्तकला के कार्यों में संलग्न महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको कार्यकुशल बनाना था इस कार्य हेतु भारत सरकार 90 प्रतिशत सहायता प्रदेश सरकार को देती थी और कार्यक्रम का क्रियान्वयन महिला कल्याण निगम द्वारा किया जाता है। आठवीं व नौवीं योजना में क्रमशः 423.90 लाख व 139.28 लाख रूपया व्यय करके दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में 51914 महिलाओं ने कार्यक्रम का लाभ लिया।

तालिका संख्या–3:आठवीं व नौवीं पंचवर्शीय योजना में महिलाओं के विकास हेतु चलाये महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों में व्यय व उपलब्धि

क्र. सं.	कार्यक्रम	आठवीं पंचवर्षीय योजना		नौवीं पंचवर्षीय योजना		दसवीं पंचवर्षीय योजना	
	(अ) महिला विशिष्ट कार्यक्रम	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी
1.	महिला (एस.टी.ई.पी.) डेयरी	423.90	41839	139.28	10075	39.50	8746
2.	कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास	205.39	950	8.27	320	––	––
3.	प्रशिक्षण रोजगार व उत्पादन (नोराड)	25.87	5318	––	––	––	––
4.	ड्वाकरा (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.)	29.55	65538 (समूह)	166.94	17532 (समूह)	––	––
5.	इन्दिरा महिला योजना	177.90	2294	––	––	––	––
6.	गांधी ग्राम योजना	414.07	5650	––	––	––	––
7.	किशोरी बालिका योजना	4.00	29580	––	––	––	––
8.	महिला रेशम परियोजना	27.67	1785	13.23	200	––	––

क्र. सं.	कार्यक्रम	आठवीं पंचवर्षीय योजना		नौवीं पंचवर्षीय योजना		दसवीं पंचवर्षीय योजना	
	(अ) महिला विशिष्ट कार्यक्रम	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी
9.	बालिका मण्डल योजना	1.58	4075	––	––	––	––
10.	निराश्रित विधवाओं को अनुदान	16376.38	1390073	10747.63	554495	11543.11	526465
11.	तलाकशुदा व दहेज प्रताड़ितों को अनुदान	64.81	3549	11.67	8676	––	––
12.	35 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को शादी करने पर सहायता	125.01	849	6.07	2717	––	––
13.	कौशल सुधार व प्रशिक्षण कार्यक्रम	103.00	5425	––	––	––	––
14.	महिला जागृति योजना	41.47	450	––	––	––	––
15.	महिला एकीकृत विकास कार्यक्रम	121.00	2431	9.50 (स्वी.व्यय)	––	––	––
16.	महिला मण्डल दलों को सहायता	70.65	––	––	––	––	––
17.	बालिका निकेतन का निर्माण	89.80	865	5.0	––	––	––
18.	मार्जिन मनी ऋण योजना	14.92	122	(अनु0)	(अनु0)	––	––
19.	निराश्रित विधवाओं को मशीन वितरण	48.28	13862	––	––	––	––
20.	उद्यमिता विकास	48.60	22	81.47	10850	128.2	16000
21.	निराश्रित विधवाओं को लड़की की शादी हेतु अनुदान	113.57	2271	84.00	850	26.50	269
22.	महिला उद्यमियों को सहायता	48.60	22	––	––	––	––
23.	कृषि विकास (केन्द्रिय सहायता)	––	––	39.71	750	––	––
24.	महिला स्वास्थ्य	––	––	––	––	––	1048
25.	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना	––	––	––	––	1566.11	172 (सं0)
26.	कन्या विद्या धन योजना	––	––	––	––	117428.26	8(लाख)
	(ब) महिलाओ से सम्बन्धित कार्यक्रम						
1.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (लाभार्थी व व्यय लाख में)	108474 (43390)	19.24 (7.70)	6631.53 (2652)	2.88 (1–15)	–– ––	–– ––
2.	जवाहर रोजगार योजना (एन.आर.ई.पी.व जे.आर.वाई.) लाख कार्यदिवस	225689 (67706)	6617 (1985)	–– ––	–– ––	–– ––	–– ––

क्र. सं.	कार्यक्रम	आठवीं पंचवर्षीय योजना		नौवीं पंचवर्षीय योजना		दसवीं पंचवर्षीय योजना	
	(ब) महिलाओ से सम्बन्धित कार्यक्रम	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी	व्यय (लाख रू.)	लाभार्थी
3.	इंदिरा आवास योजना	71520 (21460)	460702 (138211)	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
4.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे.सी.एस.वाई.) (1999 से प्रारम्भ)	——	——	2614.82 (784)	76700 (23010)	7004.27	329169
5.	वृद्धावस्था व किसान पेंशन (समस्त)	67296	35.73	8605	90051	23406386	1392562
6.	मिलियन वैल्स (लाख कार्य दिवस)	11234	1424 (427)	——	——	——	——
7.	सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (लाभार्थी लाख में)	11234 (3370)	5.43 (1.63)	——	——	——	——
8.	सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम (ई.ए.एस.) लाख कार्य दिवस	63625 (19087)	817 (2.45)	——	——	——	——
9.	प्रौढ़ शिक्षा कार्य (लाख में)	8461 (2538)	99.63 (29.90)	——	——	——	——
10.	अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना	9936 (2981)	273506 (82052)	——	——	——	——
11.	ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.)	8129 (2439)	316651 (95054)	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
12.	धूम्र रहित चूल्हा कार्यक्रम	876	126156	——	——	——	——
13.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	123570	(अनु.)	——	——	6621.22	34870
14.	ड्वाकुवा एस.से.एस.आर.वाई.डी. डब्लू.,ए.सी.यू.ए.	——	——	——	——	183.22	4282
15.	खादी (ब्याज अनुदान योजना)	——	——	——	——	265.0	31000

स्रोत : आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992—97 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997—2002) दसवीं पंचवर्षीय योजना और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2008—2013.

कार्यरत महिलायें जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा व बाहरी शहरों से काम करने आती है उनके लिये 25 छात्रावासों का निर्माण आठवीं, योजना काल में किया गया जिसमें 205.39 लाख खर्च कर 950 कार्यरत महिलायें लाभान्वित हुई जबकि नौवीं योजना में 8.27 लाख रूपये व्यय कर 320

कार्यरत महिलाओं ने छात्रावास की सुविधा ली। प्रशिक्षण रोजगार व उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम (नोराड) सन् 1983 से लागू किया गया नार्वे की सहायता से संचालित इस कार्यक्रम का नाम स्वालम्बन भी था इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, निजी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देकर विद्युत, इलेक्ट्रिानिक, घड़ी, कम्प्यूटर, हथकरधा, कताई–बुनाई, बिस्कुट बनाना, रेडियो, टेलीविजन की मरम्मत आदि में 2587 लाख व्यय कर 5314 महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना था। ड्वाकरा जो कि एकीकृत ग्राम्य विकास का एक भाग था 1992 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य गरीब परिवार की महिलाओं के आय के स्तर को बढ़ाकर उनको सामाजिक विकास में शामिल करना था ड्वाकरा का प्रारम्भिक प्रयास गांवों में 10–15 महिलाओं का समूह बनाना था ताकि वे साख के साथ–साथ स्वास्थ्य, बच्चों की परवरिश, पौष्टिकता, सफाई व शिक्षा के बारे में जाने तथा उन तक अपनी पहुंच बना सकें। ड्वाकरा कार्यक्रम में जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2955 लाख रूपया व्यय करके 65538 महिला समूह बनाये गये वहीं नौवीं योजना में यह कार्यक्रम 1998–99 तक चला जिसमें 166.94 लाख रूपया व्यय करके 17532 महिला समूह बनाये गये।

इन्दिरा महिला योजना की शुरूआत 20 अगस्त 1995 में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ उनको लाभ प्राप्त करने वाला रोजगार उपलब्ध कराना था इसके लिये झुग्गी–झोपड़ी, ग्राम व शहारीय क्षेत्रों में महिला समूह गठित किये गये सड़क निर्माण ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, सामाजिक वानिकी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे कार्यक्रम इससे जोड़े गये इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के चार जिले–जालौन, बिजनौर, रायबरेली और सोनभद्र जिलों में चलाया गया इंदिरा महिला योजना में 177.90 लाख रूपया व्यय करके 2294 महिलाओं को लाभान्वित किया गया था सन् 2001 में महिला समृद्धि योजना को इन्दिरा महिला योजना में सम्मिलित कर 'स्वयंसिद्ध' नाम से जाना जाने लगा हैं गांधी ग्राम योजना जो कि अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना के एक भाग का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अम्बर चर्खा देकर उनके स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाकर आय में वृद्धि करना था। इस योजना को प्रदेश के 33 जिलों में चलाया गया था आठवीं योजना के दौरान गांधी ग्राम योजना में 414.07 रूपया व्यय करके 5650 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया था। किशोरी बालिका योजना जो आठवीं योजना में मात्र एक वर्ष तक चली में 4.0 लाख रूपया व्यय करके 29580 किशोरियों को लाभान्वित किया गया। रेशम उत्पादन हेतु शहतूत के पौधों को लगाने व रेशम कीट–पालन में आठवीं योजनाओं में 1785 महिलाओं को 27.67 लाख रूपया व्यय करके लाभान्वित किया गया।

निराश्रित विधवाओं को दिये जाने वाला अनुदान कार्यक्रम, महिला विशिष्ट कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों व सबसे अधिक व्यय इसी कार्यक्रम में होता है। जहां आठवीं योजना में लगभग 14 लाख महिलायें इस योजना से लाभान्वित हो रही थी नौवीं योजना में उनकी संख्या बढ़कर लगभग 55 लाख हो गयी थी। प्रदेश सरकार द्वारा तलाकशुदा दहेज से पीड़ित व 35 से कम आयु की महिलाओं को शादी करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया है ये योजनायें वर्तमान में भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं। महिलाओं के पारम्परिक कार्यकौशल को आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार महिलाओं उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम को

आठवीं योजना में 14 जिलों में चलाया गया कुल 5425 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिये 103.0 लाख रूपया व्यय किया गया। प्रदेश के 60 जिलों में सन् 1993–94 में महिलाओं को जाग्रत करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया जिसमें जिलों में शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं को देखकर उनके लिये एकीकृत महिला कार्यक्रम चलाया गया जहां आठवीं योजना में 121 लाख रूपया व्यय करके 2431 महिलायें इससे लाभान्वित हुईं वहीं दूसरी ओर नौवीं योजना के मध्य में उत्तराखण्ड अलग राज्य बन जाने से केवल 9.50 लाख रूपया स्वीकृत किया गया था। महिलाओं को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने के लिये महिला मण्डल दल बनाकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। लड़कियां जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं उनके कल्याण हेतु 05 जिलों में बालिका निकेतनों का निर्माण किया गया जिसमें आठवीं योजना में लगभग 90 लाख रूपया खर्च करके 865 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

महिलाओं में स्वरोजगार की भावना को विकसित करने के लिये मार्जिन मनी ऋण योजना को प्रदेश के आठ जिलों में लागू कर लगभग 122 महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया और लगभग 15 लाख रूपया खर्च किया वर्तमान में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को छोटे–छोटे ऋण देने का प्राविधान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की सहायता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास किये जा रहें हैं। महिला कल्याण निगम द्वारा लगभग 48.0 लाख व्यय करके 13862 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिये सिलाई मशीनों का वितरण किया गया महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल के बिक्री में भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है जहां आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 48.60 लाख रूपया व्यय कर 22 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया वहीं दूसरी ओर नौवीं योजना में व दसवीं क्रमशः 10850, 16000 महिला उद्यमियों को लगभग 81 लाख तथा 128. 2 लाख रूपया खर्च कर उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया नौवी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि विकास में प्रशिक्षण हेतु लगभग 40 लाख रूपया प्रदेश सरकार को दिये जिससे 750 महिलायें लाभान्वित हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा के लिये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है इसके साथ–2 बारहवीं कक्षा पास बालिकाओं को रू0 20000 प्रति बालिका की दर से कुल 117428 लाख रूपया, 8 लाख बालिकाओं को वितरित किया गया।

1.6 महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम

जहां महिला विशिष्ट कार्यक्रमों की लाभार्थी सिर्फ महिलायें थीं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व शहरीय क्षेत्रों में चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों में 20 से 40 प्रतिशत गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का प्राविधान किया गया था यद्यपि महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के व्यय व उपलब्धि के आंकड़े उपलब्ध हैं लेकिन कितनी महिलायें इनसे लाभान्वित हुई और उनके लिये योजनाओं में कितना व्यय किया गया के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं अतः उसको उनके लिये कार्यक्रमों में दिये गये प्रतिशत आरक्षण के आधार पर आगणित किया गया है। जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में 108434 लाख रूपया व्यय कर 19.24 लाख लाभार्थियों को रोजगार दिया गया था जिसमें से 40

प्रतिशत व्यय 43390 लाख रूपया गांवों की गरीब महिलाओं पर व्यय कर 7.70 लाख महिलाओं ने कार्यक्रम का लाभ लिया। नौवी योजना में भी एकीकृत ग्राम्य विकास योजना सन् 1998–99 तक चली है और महिलाओं को 2652 रूपया व्यय करने पर 1.15 लाख कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ। जवाहर रोजगार योजना जिसका लक्ष्य कृषि कार्य न होने की स्थिति में ग्रामीण लोगों (महिला व पुरूष) को रोजगार देना था आठवीं योजना में महिलाओं के लिये 67706 लाख रूपया व्यय कर 1985 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया। इन्दिरा आवास योजना के तहत 1.83 लाख महिलाओं को आवास उपलब्ध कराये गये जिनका कुल व्यय 21460 लाख रूपया था। वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना पूर्णतया राज्य सरकार की योजना थी जिसमें 20188 लाख रूपया व्यय करके 3.06 लाख महिलओं को लाभ पहुंचाया गया और वर्ष भर पेंशन का वितरण किया गया नौवीं योजना में भी यह कार्यक्रम जारी रहा। मिलियन वैल्य योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिये एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके माध्यम से आठवीं योजनाकाल में 427 लाख कार्य दिवसों का सृजन कर महिलाओं को रोजगार दिया गया। सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से 1.63 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया जिसमें 3378 लाख रूपया व्यय किया गया था। सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रम जिसको 1993–94 से लागू किया गया था उसके माध्यम से 19087 लाख रूपया व्यय कर महिलाओं के लिये 245 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया गया था। 15 से 35 आयु वर्ग के महिलाओं को शिक्षित करने के लिये आठवीं योजनाकाल में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था इस कार्यक्रम में 2538 लाख रूपया व्यय करके 30 लाख महिलाओं को शिक्षित किया गया स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये आठवीं योजना में ट्राइसेम योजना को चलाया गया जिसके माध्यम से लगभग 95000 महिलाओं को स्वयं के प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु 2439 लाख रूपया व्यय किया। पूर्णतया केन्द्र सरकार की सहायता से आठवीं योजना में धूम्र रहित चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया चूंकि खाना बनाने का कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और धुएं आदि से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अतः कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 12.0 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना की शुरूआत 25 सितम्बर 1991 में हुई थी जिसके माध्यम से 82052 महिलाओं को लाभ हुआ था।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारम्भ भारत सरकार ने वर्ष 1994–2000 में किया था जिसमें एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेम, ड्वाकरा, गंगा कल्याण योजना सहित मिलियन वैल्स कार्यक्रम को समाहित किया गया था चूंकि कार्यक्रम की शुरूआत नौवीं योजना के मध्य में हुई इसलिए 784 रूपये व्यय करके 23010 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अलावा वर्तमान में पति की मृत्यु पर जमीन में पत्नी का अधिकार, पंचायती राज व स्थानीय स्वायत संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उत्थान योजना, **स्वयंसिद्धा** जिसका उद्देश्य आत्म निर्भर महिला समूह बनाकर, समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करना है **स्वयंशक्ति** कार्यक्रम जिसको ग्रामीण क्षेत्र में महिला विकास व सशक्तीकरण परियोजना के नाम से जाना जाता है को विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई0एफ0ए0डी0) की सहायता से

चलाया जा रहा है और जिसका उद्देश्य महिलाओं के कार्य बोझ व कार्य समय में कमी लाने की तकनीक के उपाय, उनके स्वास्थ्य,शिक्षा और विश्वास को बढ़ाकर उनके कौशल सुधार के माध्यम से आय सृजन करना है।

<u>बालिका समृद्धि</u> योजना को परिवार व समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिये चलाया गया है। काशी व वृन्दावन में रह रही निराश्रित विधवाओं, प्राकृतिक विपदाओं से बेघरबार हुई महिलाओं, जेल से रिहा हुई महिलाओं जिनको उनका परिवार स्वीकार नही करता, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां जो अपने घर नहीं जाना चाहती या परिवार उनको स्वीकार नहीं करता और आतंकवाद से प्रभावित महिला जिनके पास रोजी–रोटी का कोई साधन नहीं होता आदि के लिये <u>स्वधार</u> योजना चलायी गयी जिस योजना के तहत शरण स्थल, भोजन, कपड़े आदि के साथ–साथ शिक्षा व कौशल सुधार में प्रशिक्षण दिया जाता है। वूमन कम्पोनेन्ट प्लान के तहत सभी विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गये हैं वहीं दूसरी ओर निजी प्रबन्ध कों से असेवित गांवों व विकास खण्डों में माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु सहायता दी गयी बालिकाओं को कन्या धन देने के साथ महिला पॉलीटेक्निक खोले जा रहे हैं। राज्य में महिला समाख्या के द्वारा भी शिक्षा व जागरूकता के कार्य किये जा रहें हैं।

राज्य स्तर पर महिला विशिष्ट व महिलाओं से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन –महिला कल्याण विभाग, महिला कल्याण निगम, आई0सी0डी0एस0, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग, महिला डेयरी निदेशालय, परिवार कल्याण निदेशालय, रेशम निदेशालय, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। जबकि जिला स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रबन्धक, दुग्ध विकास तथा जिला उद्योग केन्द्र महिलाओं के विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं। विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारीगण खण्ड विकास अधिकारी की सहायता से महिला विकास कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

विभिन्न महिला विकास कार्यक्रमों की चर्चा के बाद अगले भाग में हमने सन् 2000 में किये गये क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर महिलाओं के लिये चलाये गये विकास कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक भागीदारी व विकास योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी भागीदारी व जागरूकता का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

1.7 <u>क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर महिला सशक्तीकरण की स्थिति</u>

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि हमारे प्रतिदर्श का आकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 125 महिलाओं से साक्षात्कार लेना रहा है। ग्राम पंचायतों के चयन के लिए एक ग्राम पंचायत को कम साक्षरता तथा दूसरे पंचायत को जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है का चयन किया गया

था हमारे अध्ययन का प्रतिदर्श आकार निम्नवत् रहा है।

चयनित जिले	चयनित विकास खण्ड	चयनित ग्राम पंचायत	चयनित परिवार
उन्नाव	1. बिछिया	1. तारगांव	125
	2. औरास	2. हाजीपुर गोश्वा	125
		3. मऊ सुल्तानपुर	125
		4. नन्दौली	125
शाहजहांपुर	3. सिन्दौली	5. उमरिया	125
	4. जलालाबाद	6. कोटावारी	125
		7. रूपापुर	125
		8. सिकन्दरपुर अफगानान	125
जिले–2	विकास खण्ड–4	ग्राम पंचायत–8	उत्तरदाता–1000

1.8 उत्तर दाता व उसके परिवार की विशेषताएं :

तालिका संख्या–4 में उत्तरदाता व उसके परिवार की विशेषताओं को दर्शाया गया है। विभिन्न सामाजिक वर्गो के दृष्टि से देखें तो लगभग 57.0 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति, 23 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 11.5 प्रति समान्य जाति के हैं। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8.6 प्रतिशत है।

यदि हम उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता को देखें तो 78 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता अशिक्षित और लगभग 10 प्रतिशत मात्र साक्षर है। चयनित तीन गावों पंचायतों में प्राइमरी पास और 4 ग्राम पंचायतों में एक भी उत्तरदाता हाईस्कूल पास नहीं था निचले स्तर की साक्षरता दर–शिक्षा विकास के कदमों की गति का धीमा होना और दूरस्थ गांवों में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण ठीक से न होना इसके कारण रहे हैं। हमारे प्रतिदर्श की 1000 उत्तदाताओं में से मात्र 25 उत्तरदाता (28.5 प्रतिशत) विभिन्न व्यवसायों में भागीदारी निभाते हुई पायी गयी यद्यपि उत्तर प्रदेश में महिला कार्य सहभागिता दर 1991 में 12.32 व 2001 में 16.80 रही है। चयनित ग्रामों में महिला कार्य सहभागिता दर अधिक होने का कारण अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं का अधिक होना रहा है और अनुसूचित जाति की महिलायें कृषि व मजदूरी भी करती है जबकि अन्य जातियों की महिलायें यद्यपि बच्चों व पशुओं की देखभाल, ईधन, पशुचारा, पेयजल आदि एकत्रण और पुरूष वर्ग की कृषि में सहायता कर कार्य बोझ की अधिकता से परेशान रहती है। तालिका से ज्ञात है कि हमारे कार्यरत उत्तरदाताओं में से 51.58 प्रतिशत कृषि में तथा शेष उत्तरदाता कृषि श्रमिक व अकृषि श्रमिक के रूप में मजदूरी करती है। हमारे प्रतिदर्श की सभी महिलाओं के परिवार का औसत आकार 5.33 व्यक्ति था और प्रति परिवार 1.37 व्यक्ति कार्यरत पाये गये। जहां तक लिंगानुपात का प्रश्न है वह प्रदेश (898) व देश (933) की तुलना में सकारात्मक (985) पाया गया।

तालिका संख्या : 4 उत्तरदाता व उसके परिवार की विशेषतायें

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
1.	प्रतिदर्श आकार	125	125	125	125	125	125	125	125	1000
2.	जातिवार उत्तरदाता (प्रतिशत में)									
	i) सामान्य	16.0	10.4	9.6	1.6	6.4	3.2	44.8	—	11.5
	ii) पिछड़ी जाति	16.8	28.8	18.4	17.6	12.8	24.0	11.2	55.2	23.0
	iii) अनुसूचित जाति	59.2	49.6	68.8	76.8	77.6	68.0	33.6	21.6	56.9
	iv) मुस्लिम	8.0	12.0	3.2	4.0	3.2	4.8	10.4	33.2	8.6
3.	उत्तरदाता का शैक्षिक स्तर									
	i) अशिक्षित	65.6	84.8	74.4	72.0	93.6	73.6	90.4	72.8	78.4
	ii) साक्षर	8.8	4.0	11.2	12.8	4.0	13.6	7.2	15.2	9.6
	iii) कक्षा–5	16.8	8.0	14.4	10.4	2.4	7.2	2.4	8.8	8.8
	iv) कक्षा–8	5.6	2.4	—	3.2	—	4.0	—	3.2	2.3
	v) हाईस्कूल	3.2	0.8	—	1.6	—	1.6	—	—	0.9
4.	उत्तरदाता का व्यवसाय (संख्या)									
	i) कुल कार्यरत	36	42	35	49	34	33	21	35	285
	ii) कृषि	26	19	24	28	14	16	12	8	147
	iii) मजदूरी	10	23	11	21	20	17	9	27	138
5.	उत्तरदाता के मकान का ढांचा (%में)									
	i) पक्का	20.0	8.8	14.4	7.2	9.5	8.8	20.0	3.5	9.6
	ii) कच्चा–पक्का	70.4	13.6	17.6	13.6	85.6	18.4	6.4	17.6	14.6
	iii) कच्चा	5.6	77.6	68.0	79.2	4.0	72.8	73.6	79.2	75.8
	iv) विद्युतीकरण परिवार प्रतिशत	—	—	2.4	—	—	3.2	6.4	—	2.7
6.	उत्तरदाता की पारिवारिक विशेषता									
	i) परिवार का औसत आकार	4.93	5.32	4.85	5.24	5.05	5.43	5.59	5.40	5.33
	ii) लिंगानुपात	1026	980	968	976	978	982	989	985	985
	iii) प्रति परिवार कार्यरत सदस्य	1.50	1.30	1.30	1.43	1.32	1.46	1.14	1.26	1.37

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण।

तालिका संख्या–4 से उत्तरदाताओं के निवास के ढांचे का पता चलता है। 75 प्रतिशत से अधिक परिवार मिट्टी व झाड़ फूस के मकानों में निवास करती है जबकि 9.6 प्रतिशत पक्के तथा 14.6 प्रतिशत परिवार कच्चे पक्के घरों में बसे हैं। बिजली आज दिन प्रतिदिन की जीवन शैली में एक आवश्यकता

बन गयी है लेकिन हमारे चयनित सभी परिवारों में से मात्र 2.7 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध थी ग्राम पंचायतवार देखने से पता चलता है कि लगभग 93.0 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लोग बिजली की राह देख रहें हैं।

1.9 विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित परिवार व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनकी जानकारी

तालिका संख्या–5 में महिला विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित परिवार, प्रतिपरिवार के कुल आय में विकास कार्यक्रमों का योगदान व विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनकी जानकारी को दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं से पूछने पर ज्ञात हुआ कि विधवा व वृद्धावस्था पेशन, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, ड्वाकरा तथा सिकन्दरपुर अफगानान में एक उत्तरदाता को लड़की की शादी हेतु अनुदान में 6000 रूपया मिला था कुल मिलाकर 2.6 प्रतिशत को विधवा पेशन, 6.8 प्रतिशत को इंदिरा आवास तथा 2.9 प्रतिशत उत्तरदाता जवाहर रोजगार योजना की लाभार्थी रही और 1000 उत्तरदाताओं में केवल 15.5 प्रतिशत उत्तरदाता महिला विकास कार्यक्रमों का लाभ ले सकी। ड्वाकरा कार्यक्रम के माध्यम से मात्र सिकन्दरपुर अफगानान की 7 महिलायें जरदोजी का प्रशिक्षण ले पायी लेकिन महिलाओं को बैंक से ऋण की सुविधा न होने के कारण वे स्वरोजगार हेतु अपनी इकाई लगाने में असमर्थ रहीं और जरदोजी का काम निजी इकाई के लिए कर रहें हैं। हमारे अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि सभी उत्तरदाताओं के पारिवारिक आय में विकास कार्यक्रमों से अर्जित आय का योगदान लगभग 33.0 प्रतिशत था। विकास कार्यक्रमों की जानकारी न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलायें विकास कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पा रहीं हैं। सरकारी विभाग के कर्मचारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार ठीक से नहीं करते हैं। मात्र 16.3 प्रतिशत महिलाओं को विकास कार्यक्रमों की जानकारी होने व सरकारी कर्मचारियों द्वारा 2.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कार्यक्रम की जानकारी देने से इसकी पुष्टि होती है। 38/21

तालिका संख्या : 5 महिला विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित परिवार व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनकी जागरूकता

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
1.	विधवा पेंशन	10	1	5	4	2	–	3	1	26
2.	वष्द्धावस्था पेंशन	7	4	–	2	–	–	–	–	13
3.	इंदिरा आवास योजना	3	12	20	2	4	13	11	3	68
4.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	3	3	4	–	–	1	–	–	11
5.	लड़की की शादी हेतु अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	1	1
6.	जवाहर रोजगार योजना	6	5	9	3	–	2	–	4	29
7.	ड्वाकरा	–	–	–	–	–	–	–	7	7
	कुल	29	25	38	11	6	16	14	16	155

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
8.	प्रति लाभार्थी परिवार में विकास कार्यक्रम का हिस्सा	20.40	38.89	52.11	25.0	15.80	37.37	15.31	24.07	33.06
9.	महिला विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जागरूकता	27	16	25	20	12	13	21	29	163
10.	महिला कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकारी मशीनरी से सूचना पाने वाले उत्तरदाता	4	4	9	3	2	—	3	4	29

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण।

1.10 स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास कार्यक्रम सुविधायें व उनका उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि ग्रामीण जनता स्थिति के अनुसार वैद्य/ओझा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र निजी डाक्टर और जिला चिकित्सालाय से इलाज कराते हैं। तालिका संख्या–6 से ज्ञात होता है कि अपनी बीमारी के इलाज के लिए 51.0 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा की कमी, डाक्टर के अनुपस्थित रहने व एक्स के मशीन व अन्य जांच सम्बन्धी उपकरण न होने के कारण 46.9 प्रतिशत लोग निजी डाक्टर से अपनी इलाज कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, निर्धनता व अज्ञानता आदि के कारण आज भी 11.4 प्रतिशत ग्रामीण लोग वैद्य व ओझा से इलाज कराते हुए पाये गये और अत्यधिक जटिल प्रसव व बीमारी के कारण लोग जिला चिकित्सालय में इलाज कराने जाते हैं। हमारे अध्ययन में यह भी पाया गया कि परिवार की महिलाओं के बीमार होने पर 98.0 प्रतिशत पुरूष सदस्य उनकी पूरी देखभाल करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छोटे परिवार व स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया है और स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों (नसबन्दी विरोध, कापर–टी) को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार किया लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि हमारे अध्ययन में मात्र 13.6 प्रतिशत महिलायें जन्म नियंत्रण के सम्बन्ध में जागरूक हैं और जो महिलायें जागरूक पायी गयी उनमें से 28.0 प्रतिशत ने परिवार नियंत्रण के साधनों का अपनाया है अर्थात् पूरे प्रतिदर्श की 2.8 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार नियोजन के उपाय किये हैं। परिवार नियोजन के उपायों की अनुपलब्धता, पति के सहमत न होने तथा स्वयं की रूचि न होने के कारण परिवार नियोजन के उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

तालिका संख्या : 6 चयनित ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधायें व उनका उपयोग

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
1.	परिवार में महिलाओं के बीमार होने पर पर्याप्त ध्यान (% में)	95.2	99.2	97.6	93.6	99.2	99.2	100.0	100.0	98.0
2.	इलाज के लिये जाते हैं (बहुविकल्पीय उत्तर) i) ओझा/वैद्य	13.6	9.6	7.2	16.0	7.2	12.8	16.0	8.8	11.4
	ii) निजी डाक्टर	52.0	64.0	69.6	70.4	38.4	25.6	22.4	28.0	46.3
	iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र	36.8	14.4	34.2	37.6	73.6	72.0	72.0	68.8	51.3
	iv) जिला अस्पताल	12.0	14.4	2.4	6.4	8.0	2.4	1.6	4.8	51.3
3.	परिवार नियोजन की जानकारी	23 (18.4)	22 (21.6)	25 (20.0)	9 (7.2)	7 (5.6)	11 (8.8)	12 (9.6)	22 (17.6)	136 (13.6)
4.	जानकारी रखने वालों द्वारा परिवार नियोजन के उपाय	7 (30.4)	4 (14.8)	10 (40.0)	4 (44.0)	3 (42.9)	1 (9.2)	2 (16.6)	7 (31.8)	38 (28.0)
5.	उत्तरदाता जिनको प्रसव पूर्व व बाद की सेवायें मिली	8 (30.8)	3 (8.8)	5 (10.2)	12 (34.3)	2 (7.2)	14 (45.2)	–	8 (14.6)	52 (17.6)
6.	प्रसव कराया गया i) गांव की अप्रशिक्षित दायी	88.5	82.4	85.7	91.4	100.0	6.8	92.1	83.6	89.2
	ii) प्रशिक्षित दायी	11.5	8.8	12.3	5.7	–	–	5.3	–	5.4
	iii) ए.एन.एम.	–	5.9	2.0	–	–	3.2	–	12.7	3.7
	iv) जिला अस्पताल	–	2.9	–	2.9	–	–	2.6	3.7	1.7
7.	शिशु जीवित दर	88.9	93.5	92.1	82.5	93.7	89.8	85.7	93.3	90.2
8.	उत्तरदाता जो पौष्टिकता के सम्बन्ध में जागरूक हैं (% में)	25.6	24.0	26.4	18.4	28.8	22.4	29.6	30.45	25.7
9.	उत्तरदाता जिन्होंने चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार बताया (प्रतिशत में)	25.6	20.0	12.0	6.4	10.4	6.4	4.8	14.4	12.5
10.	उत्तरदाता जो डाक्टर द्वारा समुचित ध्यान देने की बात स्वीकारते हैं। (%में)	9.6	12.8	12.0	8.8	7.2	5.6	4.8	11.2	9.0
11.	अस्पतालों में दवा की उपलब्धता (%में)	10.4	1.6	6.4	12.0	1.6	2.4	4.0	8.0	5.8

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्रों द्वारा शिशु जन्म के समय ध्यान न देने निर्धनता तथा ग्रमीण सड़कें व यातायात के साधनों के अभाव व ग्रामीण गरीब महिलायें जिला अस्तपाल से प्रसव कराने में असमर्थ पायी गयीं इसलिए हमारे अध्ययन की लगभग 89.2 प्रतिशत महिलाओं ने गांव की अप्रशिक्षित दायी से घर में प्रसव कराया और 5.4 प्रतिशत महिलाओं का प्रसव प्रशिक्षित दायी से कराया। स्वास्थ्य उपकेन्द्र की ए.एन.एम. ने 3.7 प्रतिशत प्रसव कराये जबकि जटिल प्रसव व जिला अस्पताल ने निकट के 1.7 महिलाओं ने जिला अस्पताल में प्रसव कराये। हमारे अध्ययन की गर्भधारण करने वाली कुल 296 महिलाओं में से केवल 52 (17.6 प्रतिशत) महिलायें प्रसव पूर्व व बाद की सेवायें प्राप्त कर सकीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों में इन सुविधाओं के होने के सम्बन्ध में महिलायें जागरूक नहीं थीं गांव में सफाई व सावधानियां न बरतने से गांव में जन्में कुल बच्चों में से 90.2 प्रतिशत बच्चे जीवित रह पाये। हमारे अध्ययन के 25.7 प्रतिशत महिलायें अपने व जन्मे बच्चे के पौष्टिक भोजन के सम्बन्ध में जागरूक पायी गयी। आजादी के बाद चिकित्सा व स्वास्थ्य में सुधार हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयासों के बावजूद हमारे मात्र 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात स्वीकारी है। शहरी क्षेत्र में पले व प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर यदि ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त हैं तो वे या तो अनुपस्थित रहते हैं या इलाज में समुचित ध्यान नहीं देते हैं हमारे अध्ययन के मात्र 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि डाक्टर इलाज में ध्यान देते हैं जबकि 5.8 प्रतिशत उत्तरदाता अस्पतालों में दवा उपलब्ध होने की बात को स्वीकारते हैं।

1.11 शिक्षा में पहुंच व जन सहभागिता :

तालिका संख्या–7 में बच्चों के नामांकन ड्राप आउट व शिक्षा में हो रहे सुधार को दर्शाया गया है। शिक्षा जो कि मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही महिलाओं के रोजगार के अवसर, आय व सामाजिक स्थिति में सुधार कर उनके वर्तमान निम्न स्तर में वृद्धि कर उनको निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। हमारे अध्ययन के 1000 परिवारों में 619 परिवारों (61.9 प्रतिशत) के पास 6.16 वर्ग आयु वर्ग के बच्चे थे जिनमें से 25.6 प्रतिशत परिवार अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे थें गरीबी, अज्ञानता, माता–पिता का अशिक्षित होना और उनको प्रेरणा देने वाला न होने के कारण यह स्थति विद्यमान थी अध्ययन में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालक व बालिका को शिक्षित करने में भेदभाव था 619 परिवार जिनके बच्चों की आयु स्कूल जाने की थी उनमें से 69 परिवार अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजना बिल्कुल भी पसन्द नहीं करते थे इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का यह कहना था कि लड़का बड़ा होकर परिवार के लिए आय अर्जित करेगा जबकि लड़की एक उत्तरदायित्व है जिस पर पैसे का विनियोग करना पैसों की बरबादी करना है।

नामांकन दर की दृष्टि से बालक 64.08 व बालिका 50.90 को राष्ट्रीय व प्रदेश के औसत नामांकन दर से कम देखा गया है। सन् 2000 में सभी के लिये शिक्षा का नारा खोखला साबित हुआ है। इसके बाद भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान चलाया है जिसमें कक्षा 8 तक सभी बच्चों को नामांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अध्ययन के जिन परिवारों के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है उनमें से 90 प्रतिशत लोगों के बच्चे सरकारी तथा शेष बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहें थे।

तालिका संख्या : 7 शिक्षा में पहुंच व जनसहभागिता

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
1.	परिवारों की संख्या जिनके 6–16 आयु वर्ग के बच्चे हैं।	74	63	83	66	73	83	86	92	619
2.	परिवारों की संख्या जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं	15	20	21	19	18	28	22	11	164
3.	परिवार संख्या जो लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते	11	22	10	1	3	3	4	15	69
4.	नामांकन दर (6–16 आयु वर्ग) बालक	80.70	61.19	63.64	50.70	62.96	58.76	63.71	67.20	64.08
	बालिका	68.29	45.76	52.81	70.96	58.67	55.17	67.61	51.40	50.90
5.	परिवार संख्या जिनके बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी	12	8	6	3	11	3	4	7	54
	बालक	5	4	1	1	5	1	2	1	20
	बालिका	16	5	7	2	8	2	3	3	46
	कुल	21	9	8	3	13	3	5	4	66
6.	शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया व लोगों की भागीदारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार i) लड़कियों के नामांकन में सुधार	45.6	41.6	46.4	37.6	15.2	13.6	22.4	20.0	30.3
	ii) विद्यालय छोड़ने वालों की सं.	36.0	55.2	42.4	4.4	11.2	4.0	14.4	9.6	23.4
	iii) उपस्थिति में सुधार	37.6	34.4	41.6	28.8	8.8	7.2	19.2	14.4	24.0

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण।

केवल विद्यालय में नामांकन होना ही शिक्षा के स्तर में वृद्धि का द्योतक नहीं माना जा सकता है वरन् नामांकन के बाद कितने बच्चे शिक्षा पूर्ण करते हैं उसको ही विकास का संकेतक मानना होगा हमारे अध्ययन में ड्राप आउट के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि क्या आपके परिवार के बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है? उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि कुल 54 परिवारों के 66 बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया था जिससे लगभग 70 प्रतिशत लड़कियां थी इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके साथ–साथ गरीबी, बीमारी, बालिकाओं हेतु अलग विद्यालय न होना, विद्यालय की दूरी तथा घर में छोटे बच्चों की देखभाल करना इसके कारण रहें हैं।

शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधार की प्रक्रिया के सम्बन्ध में 30.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन में सुधार की बात स्वीकारी है जबकि 23.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ड्राप आउट में कमी का संकेत दिया है। माध्याह्न भोजन आदि के कारण बच्चों की उपस्थिति में सुधार के सम्बन्ध में 24.0 प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट पाये गये लेकिन जगह–2 आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कालेजों के खुलने के बाद भी हमारे अध्ययन की मात्र 0.3 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी रखती है। यदि व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी ही नहीं होगी तो ग्रामीण लड़कियों द्वारा रोजगार पाना सदा दूर की खिचड़ी बनी रहेगी।

1.12 राजनैतिक निर्णय में महिलाओं की भूमिका :

यद्यपि संविधान के 73वें व 74 वें संशोधन के माध्यम से सन् 1993 से महिलाओं को प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी–पंचायत राज संस्थाओं में एक तिहाई सीटें आवण्टित की गयी है और महिलायें विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में चुनी जा रहीं हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के व़ोट देने में निर्णय की स्थिति को देखें तो वोट देने से अभी भी महिलायें स्वयं निर्णय नहीं ले रहीं हैं। तालिका संख्या–8 से ज्ञात हो रहा है कि हमारे चयनित 41.0 प्रतिशत उत्तरदाता वोट देने में अपना निर्णय नहीं ले रही है। राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में जानकारी की कमी के कारण ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी कम होती है। हमारे अध्ययन की एक भी महिला राजनैतिक दलों से जुड़ी हुई नहीं पायी गयी इसी कारण 79.8 प्रतिशत महिला अपने पसन्द के राजनैतिक दलों को वोट देने में असमर्थ है। यदि परिवार का पुरूष सदस्य किसी राजनैतिक दल से जुड़ा होता है तो वह अपने परिवार की महिला सदस्यों से उसी दल को वोट देने हेतु दबाव बनाता है जिसकी पुष्टि 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने की है। जातिवादी व सम्प्रदायवादी सामाजिक व्यवस्था के कारण स्वजातीय पड़ोसी व रिश्तेदार भी महिलाओं को वोट देने हेतु दबाव डालते हैं। हमारे अध्ययन के मात्र लगभग 11.0 प्रतिशत महिलायें ही पंचायत व स्थानीय स्वशासन के क्रिया–कलापों से अवगत थी अतः यदि महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को बढ़ाना है तो उनमें शिक्षा का प्रसार कर जागरूकता बढ़ानी होगी और राजनैतिक दलों को भी उनको अधिक से अधिक सीटें देनी होगी तभी महिला सशक्तीकरण की बात सही साबित हो सकती है।

तालिका संख्या : 8 राजनैतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
1.	महिलायें जो वोट देने में स्वयं निर्णय नहीं लेती है	46.4	36.8	52.8	52.8	27.2	28.8	34.4	48.8	41.0
2.	वोट देने में स्वयं निर्णय न लेने के कारण i) राजनैतिक दलो के सम्बन्ध में जानकारी न होना	70.7	80.4	75.8	89.4	81.4	72.2	82.4	83.6	79.8
	ii) पारिवारिक सदस्यों का दबाव	17.2	15.2	18.2	10.6	11.8	27.8	14.0	13.1	15.6

क्र. सं.	विशेषतायें	तरगांव	मऊ सुल्तानपुर	हाजीपुर गोश्वा	नन्दौली	उमरिया	कोटावारी	रूपापुर	सिकन्दरपुर अफगानान	कुल
	iii) पड़ौसी व रिश्तेदारों का दबाव	12.1	4.4	6.0	—	5.8	—	4.6	3.3	4.6
3.	पंचायत व स्थानीय स्वाशासित संस्थाओ के कार्यों की जानकारी	12.2	5.6	8.0	3.2	12.8	16.0	12.0	18.4	10.9

हमारे देश व प्रदेश में पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिलायें प्रारम्भ से ही पिछड़ी हुई हैं। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अनेक कल्याणकारी, विकासात्मक व सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाये गये और वैश्विक व उदारीकरण की बाजारीय व्यवस्था में सेवा के क्षेत्रों में कुछ महिलायें अपना योगदान दे रहीं हैं लेकिन पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें सरकार के भगीरथ प्रयासों के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, बिजली व ईधन की समस्याओं से जूझ रही हैं। पंचायत राज संस्थाओं में उनके आरक्षण से लाभ पहुंचने की आशा की जाती है लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वयं वोट देने में असमर्थ रहने के कारण इसमें अपेक्षित सुधार की आशा की जानी चाहिए। महिलाओं के विकास के लिये प्रारम्भ से चलाये गये विकास कार्यक्रमों की मृत्युदर बढ़ती जा रही है और जिन नये कार्यक्रमों की शुरूआत की जा रही है वे शुरूआती दौर में ही पोलियो ग्रस्त हो रहे हैं। निराश्रित विधवा व वृद्धावस्था पेंशन जैसा महिला कल्याणकारी कार्यक्रम इस समय सकारात्मक हो सकता है लेकिन अन्य विकास कार्यक्रमों को महिलाओं को दया के पात्र मानकर कार्यान्वित करना लाभकारी नहीं होगा। आज़ तक जितने भी कार्यक्रम चलाये गये वे सरकारी नीति व नियत के बीच दूरी बनाये हैं। आज आवश्यकता शिक्षा (सभी प्रकार की) स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधायें जो शहरीय क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना सकारात्मक होगा और सरकारी नीति प नियत की दूरी को पाटकर महिलाओं को सशक्त करना होगा यदि पुराने ढर्रे पर ही कार्यक्रम को चलाया जायेगा तो महिला सशक्तीकरण एक छलावा साबित होगा।

सन्दर्भ सूची

1. मेहरा, रेखा (1958) द नेगलैक्ट ऑफ वूमन इण्डियाज रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम ए स्टडी ऑफ फेल्योर इन प्लानिंग, आई0 सी0 एस0 एस0 आर0।
2. गंगरोड, के0 डी0 एण्ड जोसेप ए0 गाथिया (1983) वूमन एण्ड चाइल्ड वर्कर्स इन द अनऑरगेनाइज़्ड सेक्टर, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, न्यू दिल्ली।
3. कार्लेकर, मानविका (1985) पॉवर्टी एण्ड वूमन वर्क, विकास पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।
4. शर्मा कुमुद, (1986) इन्ट्रेक्शन बिटवीन पॉलिसी एजम्सन एण्ड रूरल वूमन वर्क ऑकेजनल पेपर नं0 1, सेन्टर फॉर वूमन डेवलपमेंट स्टडीज।
5. गढ़िया, प्रताप सिंह (2000) कषषि क्षेत्र में स्त्री श्रम का योगदान एवं समस्यायें, स्पैल वाइण्ड पब्लिकेशन्स, रोहतक।
6. पाण्डे, पी0 एन0 एण्ड गढ़िया पी0ए0 (2004) डेवलपमेन्ट ऑफ वूमन स्पेसीफिक प्रोग्राम इन इण्डिया, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ।
7. सातवीं, आठवीं, नौवीं व दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।